

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / 31732-6877706 / जो .जयपुर/2025/13262449

दिनांक- 31/1/25

आदेश

निम्नांकित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित अवधि का अध्ययन अवकाश आर एस. आर के नियम 110-112 के तहत उनकी स्वयं की प्रार्थना पत्र एवं जी.ए. 45 के आधार पर स्वीकृत किया जाता है -

| क. स. | नाम कर्मचारी | पदस्थापन स्थान                               | प्रशिक्षण केन्द्र                    | चयन श्रेणी एवं सत्र     | अवकाश विवरण   |
|-------|--------------|--|--------------------------------------|-------------------------|---|
| 1.    | ममता बाई     | जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर | स्कूल ऑफ नर्सिंग हरिश हास्पिटल, अलवर | 2022-23 एस.सी इन सर्विस | 1. दि. 03.01.2023 से 02.01.2025 (2 वर्ष )अध्ययन अवकाश<br>2. दि. 03.01.2025 से 16.03.2025 73 दिवस उपाजित अवकाश<br>3. दि. 17.03.2025 से 19.04.2025 तक 34 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश<br>5. दि. 20.04.2025 से 02.01.2026 तक 258 दिवस असाधारण अवकाश |

नोट- उक्त अवकाश अवधि का वेतन इनके मूल पदस्थापन स्थान से आहरित किया जावेगा । यदि मूल पदस्थापन स्थान पर पद भरे जाने की स्थिति में निदेशालय के पत्र क्रमांक 07 दिनांक 03.01.2024 की परिधि में आने पर प्रकरण में तदानुसार कार्यवाही की जावे ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / 31732-6877706 / जो .जयपुर/2025/13262449

दिनांक- 31/1/25

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. संबंधित समस्त प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी ।
2. संबंधित कर्मचारी को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे ।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली ।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :31-01-2025 12:35:58